

राज्य साख योजना 2009-10

STATE CREDIT PLAN 2009- 10

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण

विभाग का नाम:— ग्रामोद्योग संचालनालय (रेशम प्रभाग) रायपुर

1	<p>योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप-योजनावार प्रेषित की जाए।)</p> <p>Name of the Scheme with sub-components, if any (Please give the following details sub-component wise, if applicable)</p>	<p>ग्रामीण रोजगार हितग्राही मूलक/ परिवार मूलक कार्यक्रम— योजनांतर्गत निम्नानुसार उप योजना संचालित है—</p> <p>1 टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम—</p> <p>अ) टसर धागाकरण योजना</p> <p>2 अरण्डी पौधरोपण/ईरी रेशम उत्पादन योजना</p> <p>Rural Employment beneficiary scheme/Family oriented Programme. The following sub component schemes are going on-</p> <p>1. Tasar silk development & Extension Programme (A) Tasar reeling scheme.</p> <p>2. Eri Plantation (caster)/Eri silk Production Scheme.</p>
2	<p>क्या यह योजना भारत सरकार/ राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है।</p> <p>Whether it is a government of India/State Government sponsored Scheme?</p>	<p>राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना है।</p> <p>Both Govt of India & State sponsored scheme.</p>
3	<p>राज्य शासन के स्तर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग.</p> <p>Nodal Department/Directorate at the State level responsible for implementing the Scheme</p>	<p>ग्रामोद्योग विभाग के अधीनस्थ ग्रामोद्योग संचालनालय रेशम प्रभाग</p> <p>Directorate of Rural Industries (Sericulture Division).</p>
4	<p>जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग.</p> <p>Nodal office at the District level responsible for implementing the Scheme</p>	<p>ग्रामोद्योग संचालनालय रेशम प्रभाग के अधीनस्थ जिला रेशम अधिकारी</p> <p>District Sericulture Officer.</p>

5	<p>योजना का उद्देश्य</p> <p>Objective of the Scheme</p>	<p>संचालित योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचल में निवास कर रहे गरीबी परिवारों को तथा अन्य पिछड़े वर्ग को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराना। कुटीर एवं लघु उद्योग के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में विकसित कर नवीन रोजगार का सृजन करते हुए कच्चे रेशम की मांग की आपूर्ति हेतु सिल्क उत्पादन को बढ़ावा देना।</p> <p>The main objectives are: - To provide gainful self-employment at local level to poor people and backward classes living in the rural areas. To meet the increasing demand of raw silk in the state. To generate self-employment under cottage & small-scale industry in the rural areas.</p>
6	<p>क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो यहाँ पर योजना क्रियान्वित की जा रही है उन क्षेत्रों/जिलों/विकास खण्डों के नाम दर्शाये जाए।</p> <p>Whether the Scheme is being implemented in all the districts of the State? If not, indicate the regions/ districts/ blocks where the Scheme is under implementation</p>	<p>टसर रेशम विकास एवं विस्तार की योजना राज्य के सभी जिलों में तथा अरण्डी पौधरोपण/ईरी रेशम उत्पादन योजना जशपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर, कांकेर, रायपुर एवं जगदलपुर में संचालित है।</p> <p>Tasar silk development & extension scheme is being implemented in all districts of the state & Eri silk production scheme is being implemented only in districts of Ambikapur, Jashpur, Bilaspur, Kanker, Raipur & Jagdalpur.</p>
7	<p>किस प्रकार के हितग्राही योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये गये हैं (लघु कृषक/सीमान्त कृषक/ अन्यकृषक/ अनुसूचितजाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ पुरुष/ महिला आदि)</p> <p>Type of Beneficiaries covered under the Scheme. (SF/MF/OF/SC/ST/Others/Men/Women, etc.)</p>	<p>योजनांतर्गत सीमांत/ भूमिहीन कृषक वर्ग के विशेष रूप अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं मुख्य रूप से महिला वर्ग के हितग्राहियों को लाभांवित किया जाता है।</p> <p>Marginal/Landless especially SC/ST & OBC mainly woman beneficiaries are being benefitted by these scheme.</p>

8	<p>हितग्राहियों के लिये पात्रता मानदण्ड, यदि कोई हो तो</p> <p>Eligibility criteria for the beneficiary, if any</p>	<p>संचालित योजना हेतु मापदण्ड निम्नानुसार है—</p> <p>अ) टसर धागाकरण— अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ सामान्य/ पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों हेतु।</p> <p>ब) अरण्डी पौधरोपण/ईरी रेशम ककून उत्पादन योजना— अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ सामान्य/ पिछड़ा वर्ग के हितग्राही जो स्वयं की आधा/एक एकड़ सिंचित भूमि में पौधरोपण (अरण्डी/शहतूत) करने के इच्छुक हो</p> <p>Parameters for the Beneficiaries-</p> <p>(i) Tasar reeling: - For SC/ST/OBC beneficiaries</p> <p>(ii) Caster</p> <p>(iii) Plantation/Eri Cocon development scheme - SC/ST/OBC beneficiaries who are interested to develop own mulberry or castor plantation in half/one acre irrigated land</p>
9	<p>क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/ समूह स्तर पर/ दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/ दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है।</p> <p>Whether assistance is provided on an individual/group basis or both.</p>	<p>योजनांतर्गत सहायता व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जावेगी।</p> <p>Both individual & Group Basis.</p>
10	<p>प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिये अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत की जाये।)</p> <p>Details of Subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of the category of beneficiary, please give category- wise details Rate (%)</p> <p>Minimum Maximum GOI Contribution State Government Contribution</p>	<p>वर्तमान में ग्रामोद्योग संचालनालय रेशम प्रभाग द्वारा संचालित योजनाओं में किसी भी प्रकार का अनुदान का प्रावधान नहीं है। राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित योजना में मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत निजी क्षेत्र के हितग्राहियों को स्वयं की भूमि पर प्रदर्शन प्लॉट योजना हेतु राशि ₹0 15000/- का सामग्री के रूप आर्थिक सहायता दी जा रही है।</p> <p>No provision has been made to provide subsidy in the sericulture sector of Rural Industries. State Govt is providing Rs 15000/- as material cost & financial assistance for development of mulberry under demonstration plot scheme.</p>

क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन देने का प्रावधान है। यदि हाँ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जाए।

Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided. If so, details thereof may please be provided for different categories of beneficiaries

ग्रामोद्योग संचालनालय रेशम प्रभाग द्वारा वर्तमान संचालित योजनाओं में किसी प्रकार का अनुदान का प्रावधान नहीं होने से हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन देने का प्रावधान नहीं है। राज्य साख योजना के अंतर्गत प्रस्तावित उप योजना हेतु निम्नानुसार हितग्राहियों द्वारा मार्जिन देने का प्रावधान प्रस्तावित है—

1 टसर धागाकरण— टसर धागाकरण रीलिंग एवं स्पीनिंग हेतु लागत रू. 35450/- प्रति इकाई प्रस्तावित है। बैंक ऋण के माध्यम से हितग्राही द्वारा निवेश किया जावेगा।

2 ईरी रेशम ककून उत्पादन योजना— ईरी योजना के अंतर्गत इकाई लागत रू0 15285/- प्रति एकड़ है एवं आधा एकड़ हेतु इकाई लागत रू0 8000/- है। योजना में गुणवत्ता आधारित मूल्य पर ककून क्रय विभाग के ककून बैंक के माध्यम से किया जावेगा। उपरोक्त योजना की इकाई लागत बैंक ऋण के माध्यम से हितग्राही द्वारा निवेश किया जावेगा।

There is no provision of margin money in this scheme but it is proposed to give margin money under sub plan of State Credit Plan as under: -

(1) Tasar Reeling: - Approximate cost of Reeling & Spinning Machines are Rs 10500/-(Reeling) +Rs 4000/-(Spinning) respectively=Rs 14500/- is the subsidy @45% contributed by Central Silk Board Under 10th Plan the catalytic development scheme for the year 2007. Total unit cost of Reeling & Spinning machines are Rs 35450/- are proposed in which only Central Silk Board contribute subsidy for Reeling & Spinning Machines only Rest amount borned by beneficiaries through bank loan.

(2) The unit cost of Eri development In 1/2 and 1 acre is Rs 15285/- & 8000/- respectively. In this scheme quality based cocoons have been purchased by department through cocoon bank unit cost borned by

12	<p>किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ योजनांतर्गत अपेक्षित हैं।</p> <p>Type of economic activities envisaged under the Scheme.</p>	<p>1 टसर धागाकरण (रीलिंग एवं स्पीनिंग) हेतु बैंक ऋण राशि ₹ 35450/- प्रति इकाई।</p> <p>2 अरण्डी पौधरोपण/ईरी विकास योजना ₹ 15285/- प्रति एकड़/इकाई एवं आधा एकड़ हेतु इकाई लागत ₹ 8000/- है।</p> <p>(1) Bank loan amount for Tasar reeling & spinning is Rs 35450/- per unit approved by NABARD.</p> <p>The unit cost of Eri development in 1/2 and 1 acre is Rs 15285/- & 8000/- respectively.</p>
13	<p>क्या व्यक्तिगत हितग्राही/ समूह के लिये कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गई है। यदि हाँ तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें।</p> <p>Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/ group. If so, please give details.</p>	<p>उपरोक्तानुसार.</p> <p>As above.</p>
14	<p>क्या योजनांतर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है।</p> <p>Whether any bank Loan is envisaged under the Scheme.</p>	<p>हाँ, योजना में बैंक से ही ऋण का प्रावधान है।</p> <p>Yes, Provision of Bank Loan has been made in the scheme.</p>
15	<p>क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिये राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स) तैयार कर लिये गये हैं।</p> <p>Whether any project profiles, etc. have been prepared by the State Government for the use beneficiaries.</p>	<p>नहीं.</p> <p>No.</p>
16	<p>अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो।</p> <p>Additional details if any.</p>	<p>निरंक</p> <p>Nil.</p>